न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./77/2024

1. गोपालपुरी पुत्र भैरूपुरी जाति गुसाई निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. दुर्गेश पुरी पुत्र सुवा जाति गुसाई निवासी पीपलुन्द तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
2. शंकरपुरी पुत्र कैलाश पुरी जाति गुसाई निवासी तारो का खेड़ा बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर
3. सत्यनारायण पुत्र माधू जाति गुर्जर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः-04.09.2024

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री धर्मवीर बामनियां
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा कैरोट पटवार क्षेत्र कैरोट भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 157 में दर्ज खसरा नं. 1106 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.15, खसरा नं0 1131 रकबा 0.72, खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.09 खसरा नम्बर 1319 रकबा 0.24, खसरा नम्बर 3520/1219 रकबा 0.54, खसरा नम्बर 3543/1220 रकबा 0.03 और खसरा सं0 3569/1014 रकबा 0.39 कुल किता 09 कुल रकबा 2.41 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर, पत्थरगढी बाबत् अपनी अनापत्ति प्रकट की तथा पत्रावली आदेशिका पर टिप्पणी अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

ग्राम कैरोट के खाता संख्या 157 संवत 2071–2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा कैरोट पटवार क्षेत्र कैरोट भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 157 में दर्ज खसरा नं. 1106 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.15, खसरा नं0 1131 रकबा 0.72, खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.09 खसरा नम्बर 1319 रकबा 0.24, खसरा नम्बर 3520/1219 रकबा 0.54, खसरा नम्बर 3543/1220 रकबा 0.03 और खसरा सं0 3569/1014 रकबा 0.39 कुल किता 09 कुल रकबा 2.41 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। वाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)